


राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ.1(3)(10)स्था/मंत्रा/आईसीडीएस/18/145407

जयपुर, दिनांक 10 <sup>8</sup>/<sub>18</sub>


आदेश

बाल विकास परियोजनाओं के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप विलोपित/नवसृजित परियोजनाओं के विभिन्न संवर्गों के पदों की समाप्ति/नवसृजन के सम्बन्ध में विभागीय आदेश क्रमांक 144015 दिनांक 9-8-18 की क्रियान्विति आगामी आदेशों तक स्थगित की जाती है।

  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ.1(3)(10)स्था/मंत्रा/आईसीडीएस/18/145408-753 जयपुर, दिनांक 10 <sup>8</sup>/<sub>18</sub>  
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज. जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-2) विभाग राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं राज. जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
10. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग राज. जयपुर।
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।
12. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
13. समस्त अधिकारीगण निदेशालय।
14. समस्त उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग।
15. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।
16. आदेश पत्रावली।

  
निदेशक  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर